राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्रामीण विकास(अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक –एफ 7 (293)ग्रावि / अनु.–8 / 2014 / जयपुर, दिनांक 17.3.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक **दिनांक 16.02.2015 को 3.30** बजे समिति कक्ष नम्बर 1, शासन सचिवालय में आयोजित की की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परि0 1 पर संलग्न है। बैठक में निम्न निर्देश प्रदान किये गये:–

1. बैठक में अब तक की गयी कार्यवाही पर संतोष जाहिर करते हुए निर्देश प्रदान किये कि सभी कार्य योजना निर्धारित तिथियों तक पूरा की जाये।
2. बेसलाईन सर्वे का कार्य जिलों द्वारा आगामी 10 दिवस में पूर्ण कर बेसलाईन के आधार पर पहचान की गयी आवश्यकताओं / कार्यो के बारे में संबंधित विभाग को सूचित किया जाये जिससे संबंधित विभाग आवश्यक हो तो बजट में आवश्यक प्रावधान करवा सके।
3. भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रयोजित योजनाओं में संशोधन किया जा रहा है, इसी तर्ज पर राज्य सरकार की योजनाओं में भी संशोधन किया जाये कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में चिन्हित ग्राम पंचायतों को योजना में वरियता प्रदान की जाये।
4. योजना में अलग से कोई राशि उपलब्ध नहीं है। बेसलाईन सर्वे एवं ग्राम विकास योजना बनाने के उपरान्त ज्ञात होगा कि योजनाओं के अतिरिक्त कितनी राशि की आवश्यकता होगी। इस अतिरिक्त राशि को सीएसआर, दानदाताओं आदि से राशि प्राप्त कर पूर्ण किया जाये और यदि फिर भी राशि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो तो आगामी बैठक में इस पर विचार किया जायेगा।
5. योजना में हार्डकम्पोनेन्ट के साथ सोफ्ट कम्पोनेन्ट पर अधिक ध्यान दिया जाये जिससे शिक्षा, चिकित्सा, स्वरोजगार के अवसर बढ़े तथा गांवों में सोहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।
6. मुख्य सचिव महोदय द्वारा योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर्स के साथ दिनांक 20.02.2015 को विडियो कॉन्फ्रेंस की जायेगी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बैठक आगामी 3 माह पश्चात पुनः रखने के निर्देश प्रदान किये।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

24/2/15

(सी.एल.वर्मा)
परि. निदेशक एवं पदेन उपसचिव
(एम एण्ड ई) राज्य नोडल अधिकारी,
सांसद आदर्श ग्राम योजना

<u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, मा0मंत्री ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं गो–पालन विभाग
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभि. एवं भू–जल
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं प.राज
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा. न्याय एवं अधिरिता विभाग
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खेल एवं युवा मामले
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, लघु उद्योग, खादी एवं ग्रोमोद्योग विभाग
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग
17. निजी सचिव, शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
18. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना
19. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व,उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग
20. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
21. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज
22. श्री के.एल. सेवानी, प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर लेख है कार्यवाही विवरण साईट पर डालना सुनिश्चित करें।
23. रक्षित पत्रावली।

(सी. एल. वर्मा)
परि. निदेशक एवं पदेन उपसचिव(एम एण्ड ई)
राज्य नोडल अधिकारी,
सांसद आदर्श ग्राम योजना